पत्र सं0– स्था0–1/सामान्य/2017–18/ 4476 /वाणिज्य कर।

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(स्थापना–राजपत्रित)
लखनऊ: दिनांक: 13 फरवरी, 2018

समस्त अधिकारीगण,
वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश।

प्रदेश के राजस्व संग्रह में वाणिज्य कर विभाग की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राजस्व हित में यह अनिवार्य है कि समस्त अधिकारी/कर्मचारी अपने तैनाती के स्थान पर उपस्थित रहें। यह संज्ञान में आया है कि कुछ विभागीय अधिकारी अपनी तैनाती के स्थान पर अधिवास नहीं कर रहे हैं, यह अत्यन्त खेदजनक है। राजस्व संग्रह का कार्य महत्वपूर्ण होता है तथा समस्त अधिकारियों, विशेषकर प्रवर्तन के अधिकारियों के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि वे अपने नियुक्ति स्थान पर रह कर लगातार करापवंचन पर प्रभावी नियंत्रण करें।

अतः समस्त नियंत्रक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि स्वयं अपने तैनाती स्थान पर अधिवासित होते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीनस्थ अधिकारी नियुक्ति के स्टेशन पर ही निवास करें तथा बिना पूर्व अनुमति के स्टेशन न छोड़े।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी शिथिलता की स्थिति में राजकीय दायित्वों के प्रति लापरवाही मानते हुए प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

13/2

(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।